

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/सीआरसी/2019-20/02

दिनांक 05-03-2020

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,  
समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :- संकुल सन्दर्भ केन्द्रों (सीआरसी) के पुनर्गठन के क्रम में।

प्रसंग :- शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर के पत्रांक-प.4(6)  
शिक्षा-1/2014/ आदर्श विद्यालय पार्ट जयपुर, दिनांक 19.02.2020

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-प.21(32)प्रशि/आयो/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 08.08.2018 के द्वारा राज्य के स्कूल शिक्षा के ब्लॉक, जिला एवं संभाग (मण्डल) स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना की गई है! उक्त नवीन पुनर्गठित व्यवस्था के अनुसार "राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (RCScE)" राज्य में समग्र स्कूल शिक्षा (पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12 तक) एवं समग्र शिक्षा अभियान (SmSA) योजना से संबंधित **Planning, Implementation & Monitoring** हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी संस्था है। उक्त के क्रम में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में समान रूप से संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) सृजित करने एवं सीआरसी को अधीनस्थ विद्यालयों के पर्यवेक्षण, शैक्षिक एवं प्रबन्धकीय गुणवत्ता के विकास एवं सुदृढीकरण करने के उद्देश्य से प्रासंगिक शासकीय पत्र द्वारा पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ) एवं अधीनस्थ विद्यालयों के अतिरिक्त शेष रहे उसी ग्राम पंचायत के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों को समाहित कर ग्रामीण क्षेत्र के संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) को उस ग्राम पंचायत के पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक संचालित समस्त विद्यालयों का संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) एवं संबंधित संस्था प्रधान को संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआसीएफ) घोषित करने तथा शहरी क्षेत्र के आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों तथा उच्चतम कक्षा वाले विद्यालयों को पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक संचालित नजदीकी विद्यालयों का संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) एवं संबंधित संस्था प्रधान को संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त शासकीय स्वीकृति के क्रम में समस्त पीईईओ को संबंधित ग्राम पंचायत के समस्त अधीनस्थ विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों हेतु संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) तथा संबंधित पीईईओ विद्यालय/कार्यालय को संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) एतद्वारा घोषित किया जाता है।

उक्त के क्रम में संलग्न प्रस्तावानुसार शहरी क्षेत्र में संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) एवं संबंधित संस्था प्रधान को संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) नामित किया जाना है, अतः शहरी क्षेत्र में संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) एवं संबंधित संस्था प्रधान को संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) नामित करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में दिनांक - 16.03.2020 तक इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी - dserajadarsh.edu@rajasthan.gov.in पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (एम.एस.एक्सल) में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

नोट:-1. शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) नामित किए जाने हेतु प्रस्ताव भिजवाते समय सर्वप्रथम समस्त शहरी आदर्श विद्यालयों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर अन्य उच्चतम स्तर के विद्यालयों को सम्मिलित करें।


2. प्रत्येक जिले में शहरी सीआरसी की संख्या संलग्न प्रस्ताव में अंकित **Proposed C.R.C.** के बराबर होनी चाहिए।



3. प्रत्येक सीआरसी के अधीन आने वाले विद्यालयों की संख्या संलग्न प्रस्ताव में अंकित Per C.R.C No.of Schools के अनुसार होनी चाहिए।

उपर्युक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए निर्धारित समयवधि एवं प्रारूप में वांछित प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार।

  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/सीआरसी/2019-20/02

दिनांक 05-03-2020

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना), राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
7. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान।
9. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)/संस्था प्रधान
10. उपनिदेशक, शाला दर्पण, रास्कूल शि.प., जयपुर।
11. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
12. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप., जयपुर।
13. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा / प्राप्ति
15. रक्षित पत्रावली।



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

**Proposed Urban CRC : 2019-20**

SNo.	Dist	No. of Block	Elementary	Secondary	Total	Proposed CRC	CRC under Ele. + Sec. Schools	Per CRC No. of Schools
1	AJMER	8	106	74	180	21	159	3 to 9
2	ALWAR	6	77	38	115	15	100	2 to 9
3	BANSWARA	2	24	12	36	4	32	8 to 9
4	BARAN	3	37	12	49	6	43	6 to 8
5	BARMER	2	34	10	44	5	39	7 to 9
6	BHARATPUR	9	51	35	86	14	72	1 to 8
7	BHILWARA	7	93	37	130	15	115	5 to 10
8	BIKANER	3	67	60	127	13	114	8 to 10
9	BUNDI	3	47	26	73	10	63	5 to 7
10	CHITTAURGARH	6	36	26	62	9	53	5 to 7
11	CHURU	7	77	51	128	14	114	5 to 10
12	DAUSA	4	24	12	36	5	31	3 to 8
13	DHAULPUR	3	29	12	41	5	36	6 to 10
14	DUNGARPUR	2	34	12	46	5	41	8 to 9
15	GANGANAGAR	8	68	30	98	12	86	4 to 10
16	HANUMANGARH	6	50	17	67	9	58	5 to 8
17	JAIPUR	11	290	157	447	51	398	5 to 10
18	JAISALMER	2	23	9	32	4	28	6 to 9
19	JALOR	3	32	12	44	6	38	6 to 7
20	JHALAWAR	4	27	19	46	7	39	2 to 8
21	JHUNJHUNUN	7	64	23	87	12	75	5 to 9
22	JODHPUR	4	129	76	205	22	183	4 to 9
23	KARALI	3	47	12	59	6	53	6 to 10
24	KOTA	5	88	98	186	20	166	3 to 10
25	NAGAUR	10	49	44	93	12	81	2 to 10
26	PALI	7	79	32	111	14	97	5 to 9
27	PRATAPGARH	2	13	7	20	3	17	5 to 6
28	RAJSAMAND	4	37	18	55	6	49	6 to 10
29	S.MADHOPUR	2	16	11	27	3	24	7 to 10
30	SIKAR	7	52	28	80	10	70	4 to 10
31	SIROHI	4	23	18	41	6	35	5 to 6
32	TONK	6	42	22	64	9	55	2 to 10
33	UDAIPUR	4	55	48	103	12	91	4 to 9
	<b>Grand Total</b>	<b>164</b>	<b>1920</b>	<b>1098</b>	<b>3018</b>	<b>355</b>	<b>2653</b>	

*Rajan*

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जिला.....

शहरी क्षेत्र में संकुल संदर्भ केन्द्र (सी.आर.सी.) नामित किए जाने के संबंध में वांछित सूचना प्रेषण हेतु प्रारूप:-

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	नगर निगम /नगर परिषद् / नगर पालिका क्षेत्र का नाम	शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र (सी.आर.सी.) विद्यालय से संबंधित सूचना					शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र (सी.आर.सी.) विद्यालय के अधीन आने वाले विद्यालयों से संबंधित सूचना				
				विद्यालय का नाम	वार्ड न0	NIC CODE	U-DISE CODE	शहरी आदर्श / अन्य	क्र.सं.	विद्यालय का नाम	वार्ड न0	NIC CODE	U-DISE CODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1									1				
									2				
									3				
2									1				
									2				
									3				

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,  
समग्र शिक्षा अभियान

